न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 82/2023

वादीः–

बीजाराम पुत्र रूपाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गीगाराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा
2. जमना पत्नी बुधाराम (फौत) के वारिसान प्रतिवादीगण 1,3 व 4
3. तिलोकराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा
4. मगाराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी आम्बों का बाडा
   तहसील समदडी जिला बालोतरा राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता वादी
2. श्री उत्तमबोस अधिवक्ता प्रतिवादी 1,3 व 4

:: निर्णयः:

दिनांकः– 23.08.2024

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगणो के विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत पेश किया गया, वादपत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि मौजा अम्बो को बाडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 339/135 रकबा 1.3355 हैक्टयर व खसरा संख्या 335/135 रकबा 1.3597 हैक्टयर भूमि आई हुई है। विवादित भूमि का प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान विभाजन के समय रंग गलत भरे जाने से राजस्व रेकर्ड में जो भूमि वादी के नाम दर्ज है व भूमि प्रतिवादी के नाम व जो भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज है वह भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के मौके पर कब्जा एवं काश्त अनुसार खसरा संख्या 339/135 वादी के नाम व खसरा संख्या 335/135 प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना है राजस्व रेकर्ड में बदलाव करवाते [illegible] नक्शों में गलत रंग भर दिये जाने के कारण विपरित नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश दर्ज हो जाने के कारण उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु वादी द्वारा यह वाद न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब पेश कर वादी का वादपत्र माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी गई।

वादी वकील की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । साक्ष्य दस्तावेजात का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 से 4 दस्तावेज प्रदर्शित हुये है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 339/135 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व खसरा संख्या 335/135 वादी के नाम राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अमलदरामद है। वादी ने अपने बयान में कहा है कि वर्तमान में खसरा संख्या 339/135 वादी के व खसरा संख्या 335/135 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज काश्त है जिसका समर्थन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने बयानों किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

अतः वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा अम्बो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 339/135 व खसरा संख्या 335/135 की खातेदारी निरस्त करते हुए खसरा संख्या 339/135 वादी व खसरा संख्या 335/135 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार समदडी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकार अपना –अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:31:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
इजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 82/2023

वादीः–

बीजाराम पुत्र रूपाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गीगाराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा
2. जमना पत्नी बुधाराम (फौत) के वारिसान प्रतिवादीगण 1,3 व 4
3. तिलोकाराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी अम्बों का बाडा
4. मगाराम पुत्र बुधाराम जाति भील निवासी आम्बों का बाडा
   तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –23.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी अधिवक्ता श्री नेहपालसिंह मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह वकील श्री उत्तम बोस पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि सरहद मौजा अम्बो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 339/135 व खसरा संख्या 335/135 की खातेदारी निरस्त करते हुए खसरा संख्या 339/135 वादी व खसरा संख्या 335/135 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार समदडी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकार अपना –अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.08.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना